

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक 1954

विज्ञापन

दिनांक 19.07.2024

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की W.P. No. याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/2461/1607123/2023/18-1 भोपाल दिनांक 15 जुलाई, 2024 तथा अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्नानुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 22 जुलाई 2024 से 05 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 1030 से 5:30 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए नगर निगम, इंदौर उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मनसिक बीगारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 Grade pay	3	3	3	3	12 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकण कार्य एवं (CPCT)कम्प्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता
2	लीडिंग फॉयरमेन	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800 Grade pay	-	-	1	1	12 कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि
3	फॉयरमेन	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2100 Grade pay	1	1	2	1	12 कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य
4	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 Grade pay	1	3	-	3	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल/इले

5	समयपाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 Grade pay	1	1	1	2	विद्रकल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा
6	माली प्रशिक्षित	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 Grade pay	1	-	-	1	12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शिविल इंजीनियरिंग में आई.टी.आई.
7	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 Grade pay	2	3	4	3	8 वी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा पांच वर्ष का अनुभव
8	केशियर/सहायक लेखापाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 Grade pay	-	-	-	1	12 वी उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर प्रयालन की दक्षता
9	उपरचक्रता पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 Grade pay	2	3	2	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक। कम्प्यूटर प्रयालन का ज्ञान
10	सफाई संरक्षक	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 Grade pay	19	19	19	20	12 वी कक्षा उत्तीर्ण
11	सहायक अतिक्रमण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 Grade pay	-	-	1	-	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
12	सहायक सामुदायिक अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 Grade pay	1	-	-	-	मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि
13	लौडिंग फॉयरमेन (सविदा)	सविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	1	2	1	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं समाज शास्त्र में एम.ए. अथवा सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि
14	फॉयरमेन (सविदा)	सविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	1	5	2	2	12 कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य
15	ड्रायव्हर (सविदा) (हल्क वाहन ख श्रेणी)	सविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	1	-	-	-	10 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा हेवी व्हीकल/लाईट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञापति धारक हो
16	सफाई संरक्षक (सविदा)	सविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	39	40	39	39	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
17	कुल योग	306		73	80	75	78	

मुख्य शर्त:-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा.,अनु.जनजाति,अन्यपिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के

- कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि कोलिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
 5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
 6. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
 7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
 8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
 10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
 11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।
 12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
 13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उकसे आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
 14. सीधी/बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
 15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
 16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानानुसार की जावेगी।
23. नियुक्ति लिए तैयार मेरिट सूची अनुसार आवेदक को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी।
24. विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया गया है मुख्य समाचार-पत्रों एवं नगर पालिक निगम, इंदौर की वेबसाइट WWWimcindore.mp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर)के पास सुरक्षित होंगे।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

अपर आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर